गंगाराम ने विक्रयशुदा भूमि के सम्बन्ध में विक्रय के तथ्यों को छुपा कर वादीगण के कब्जे को स्वीकार करते हुए वाद प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है । राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी के खतोदार के स्थान पर महकमा जंगलात गलत रूप से दर्ज किया गया है जबकि वास्तव में उक्त भूमि विगत 35 वर्षों से अधिक समय से काश्त होती चली आ रही है । वादी उक्त भूमि पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सन् 1975 से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं और वे उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित पुराने खसरा नम्बर जिनके नवीन खसरा नम्बर वादपत्र की चरण संख्या 2 में वादीगण को कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, बदेखल नहीं करे तथा काश्त कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.10.2017 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.10.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट पिछले 40 वर्षों से क्रय के आधार पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त भूमि कभी भी वन विभाग के अधीन नहीं रही है और न ही उक्त भूमि पर कोई वानिकी कार्य किया गया है । उक्त भूमि सम्पूर्ण रूप से कृषि योग्य भूमि है जो सदैव से कृषि के कार्य हेतु ही उपयोग में ली जाती रही है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.10.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.05.2018 को हुई जिस पर अपीलान्ट ने अपने वकील साहब से सम्पर्क कर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशनर दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1454 और 1455 वाके ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी में स्थित है । यह आराजी कल्याण आत्मज गिरधारी, मोडू आत्मज गिरधारी, माधो आत्मज गंगाराम, रूग्धा आत्मज खेमा को आवंटित हुई थी और आवंटियों ने दिनांक 1.06.1975 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों से विक्रय कर कब्जा संभलाया दिया ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/289

1. रामलाल आयु बालिग आत्मज भवाना जाति मेघवाल ।
2. गोपाल आत्मज आयु बालिग आत्मज भवाना जाति मेघवाल ।
3. जगन्नाथ आत्मज आयु बालिग भवाना जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम बिलुबा तहसील एवं जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब, बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा जिला वन अधिकारी, बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री श्याम लाल नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कपूर चन्द सेठिया, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.10.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर कथन किया कि ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी में पुराने खसरा नम्बर 1454, 1455 रकबा 56 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि श्री कल्याण आत्मज गिरधारी, मोडू आत्मज गिरधारी, माधो आत्मज गंगाराम, रूग्धा आत्मज खोमा जाति रैगर को आवंटित हुई थी। आवंटियों ने उक्त भूमि को अपने कब्जे एवं स्वामित्व की घोषित करते हुए उक्त भूमि को वादीगण को विक्रय कर वादीगण को कब्जा संभलाया था । उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 11.06.1975 को जिला रजिस्ट्रार एवं जिला कलक्टर बून्दी के कार्यालय में कराया गया था । उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 1441 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1442 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1442/1637 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 1443 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1444 रकबा 305 बीघा है । राजस्व अधिकारियों की गलती से उक्त भूमि के खसरा नम्बर 1442/1637 की राजस्व जमाबन्दी में आवंटी माधोलाल का नाम दर्ज है एवं खसरा नम्बर 1441, 1442, 1443, 1444 की राजस्व जमाबन्दी में खातेदार के स्थान पर महकमा जंगलात दर्ज है । भूमि के आवंटी माधो आत्मज

आराजी पर क्रय की दिनांक से ही अपीलान्ट बहैसित स्वामी काबिज होकर निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त भूमि के सेटलमेंट के उपरान्त नये खसरा नम्बर 1441 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1442 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1442/1637 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 1443 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1444 बने हैं । राजस्व अधिकारियों की गलती से खसरा नम्बर 1442/1637 में आवंटी माधो का नाम दर्ज है और शेष आराजियात में खातेदार के स्थान पर महकमा वन विभाग दर्ज किया गया है । खसरा नम्बर 1444 का कुछ भाग साबिक खसरा नम्बर 1454 और 1455 का हिस्सा है । माधो लाल ने विक्रयशुदा आराजी के बाबत् कब्जा प्राप्ति हेतु एक वाद संख्या 145/2000 पेश किया था जिसको खारिज किया गया । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर पिछले 40 वर्षों से काबिज काश्त हैं । इस कारण से हक घोषणा का दावा पेश किया गया था जिसे त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य की विवेचना विधि सम्मत रूप से नहीं की है । विक्रय आज तक भी निरस्त नहीं किये गये हैं । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.10.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1454 और 1455 वन विभाग के खाते में दर्ज है । इस कारण विक्रय पत्र स्वतः ही निरस्तनीय है । उक्त भूमि वन विभाग की होते हुए भी क्रय की गई है जो विधि– विरूद्ध है । विन विभाग की आराजी न तो आवंटित होती है और न ही उसका क्रय/विक्रय किया जा सकता है । राजपत्र दिनांक 01.07.1968 दिनांक 16.01.1969 को प्रकाशित हो चुका है उसके पश्चात् वन विभाग की भूमि का आवंटन किया गया है जो नल एण्ड वोईड है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.10.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे (6) 1999 पेज 25 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. पत्रावली पर दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2064 –67 खाता संख्या 593 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 खाता संख्या 386 प्रदर्श– 2, नकल जमाबन्दी संवत् 2052 – 55 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 530 जिसमें खसरा नम्बर 1454 और 1455 महकमा जंगलात में दर्ज है । फोटोग्राफ्स प्रदर्श– 4 एवं 5 हैं, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 6 संलग्न हैं ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर वादी की ओर से बयान रामलाल, गोपाल कराये गये हैं ।

13. प्रतिवादी की ओर से बयान मुकेश कुमार सुमन कराये गये हैं ।

14. वादी के द्वारा साबिक खसरा नम्बर 1454 और 1455 के बाबत् हक घोषणा का दावा पेश किया गया है और पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2052–55 के अनुवार साबिक खसरा नम्बर 1454 और 1455 महकमा जंगलात दर्ज है । वादीगण अपीलान्ट का यह कथन है कि खसरा नम्बर 1444 का कुछ भाग पुराने खसरा नम्बर 1454 और 1455 से बना है । पुराना खसरा नम्बर 1454 और 1455 महकमा जंगलात के खाते में दर्ज है । माधो आत्मज गंगाराम के खाते की जो नकल जमाबन्दी पेश की है उसमें खसरा नम्बर 854, 855, 1442/1637 एवं 1809/769 कुल 04 किता की 21 बीघा आराजी दर्ज है और मिलान क्षेत्रफल की जो नकल पेश की गई है उसमें हाल खसरा नम्बर 1442 के साबिक खसरा नम्बर 1455, 1462 और 1463 अंकित किये गये हैं । साबिक खसरा नम्बर 1454 और 1455 मुताबिक नकल जमाबन्दी संवत् 2052–55 महकमा जंगलात के खाते में दर्ज है । उनके द्वारा अपने दावे की मद संख्या 2 में यह अंकित किया गया है कि पुराने खसरा नम्बर 1454 और 1455 रकबा 56 बीघा 14 बिस्वा को उनके द्वारा क्रय किया गया है जबकि यह आराजी संलग्न जमाबन्दी की नकल के अनुसार जंगलात के खाते में दर्ज है । इस आराजी को वादी को क्रय करने का कोई अधिकार नहीं है न ही वादी के द्वारा ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि यह आराजी विक्रेता माधो लाल के खाते में दर्ज रही हो । महकमा जंगलात के खाते में दर्ज आराजी को वादी को क्रय करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही विक्रेता को इस आराजी को बेचान करने का कोई अधिकार प्राप्त है ।

15. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.10.2017 बहाल रखा जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/289

1. रामलाल आयु बालिग आत्मज भवाना जाति मेघवाल ।
2. गोपाल आत्मज आयु बालिग आत्मज भवाना जाति मेघवाल ।
3. जगन्नाथ आत्मज आयु बालिग भवाना जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम बिलुबा तहसील एवं जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब, बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा जिला वन अधिकारी, बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.10.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 95/दावा/2011

1. रामलाल आयु बालिग आत्मज भवाना जाति मेघवाल ।
2. गोपाल आत्मज आयु बालिग आत्मज भवाना जाति मेघवाल ।
3. जगन्नाथ आत्मज आयु बालिग भवाना जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम बिलुबा तहसील एव जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

3. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब, बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य द्वारा जिला वन अधिकारी, बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.10.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 28.06.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री श्याम लाल नागर एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 02 की ओर से अभिभाषक श्री कपूर चन्द सेठिया के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.10.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 28.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

28/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा